

जिला कार्यक्रम समन्वयक,

①

प्राथमिक/अध्य विद्यालय, मध्याह्निक

प्रखण्ड, का एक अतिरिक्त वर्ग-कक्षा-निर्माण की स्वीकृति कार्यकारिणी द्वारा प्राप्त है। एक अतिरिक्त वर्ग-कक्षा-निर्माण हेतु कुल आवककृत राशि रु० 159900/- (एक लाख उनसठ हजार नौ सौ मात्र) है जिसमें से निर्माण कार्य में रु० 1,56,000/- (एक लाख छप्पन हजार रु०) तथा सुपरविजन चार्ज रु० 3900/- (तीन हजार नौ सौ रु० मात्र) है।

अतः एक अतिरिक्त वर्ग-कक्षा-निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु आवककृत राशि का 75% अर्थात् रु० 119925/- (एक लाख उन्नीस हजार नौ सौ पच्चीस रु० मात्र) प्रथम किस्त की राशि आग्राम के रूप में विद्यालय शिक्षा समिति प्राथमिक/अध्य विद्यालय, मध्याह्निक के पदनाम से चेक निर्गत करने हेतु आदेश देना चाहेंगे।

(आदेशार्थ)

2/12-
11/12/05

शुद्धि - - - - -

चेक-सं० - - - - -

दिधि - - - - -

जिला कार्यक्रम समन्वयक,

प्रखण्ड क्षेत्र के मुख्यालय पर प्रखण्ड

प्रखण्ड मुख्यालय का दि. 01/12/05 दिनांक पर 119925/- अर्थात् एक लाख उन्नीस हजार नौ सौ पच्चीस रुपये का आदेश प्राप्त हुआ है। आदेश प्राप्त होने पर प्रखण्ड मुख्यालय से आदेश प्राप्त होने पर प्रखण्ड मुख्यालय के आदेश के अनुसार कार्य प्रारंभ करने हेतु आदेश देना चाहेंगे।

अतः प्रखण्ड मुख्यालय से आदेश प्राप्त होने पर प्रखण्ड मुख्यालय के आदेश के अनुसार कार्य प्रारंभ करने हेतु आदेश देना चाहेंगे।
दिनांक, दिनांक पर प्रखण्ड मुख्यालय से आदेश प्राप्त होने पर प्रखण्ड मुख्यालय के आदेश के अनुसार कार्य प्रारंभ करने हेतु आदेश देना चाहेंगे।
18/12/05 के दिनांक से प्रखण्ड मुख्यालय से आदेश प्राप्त होने पर प्रखण्ड मुख्यालय के आदेश के अनुसार कार्य प्रारंभ करने हेतु आदेश देना चाहेंगे।

2

लक्ष्मी ने के लिए 15% ब्याज, Rs. 24000/- (दो हजार चार सौ रुपये) का चेक दि. 7-7-06 को लि. मंगल
दिनांक 27/07/06 - मंगलपत्र के पत्रिका में लिखा जा रहा है।
आगे देना नहीं है।

अ-क-क-क
7-7-06

ALS

P. K. Singh
Om

Chex 240650
date 2-7-06
Rs. 24000

(3)

जिला कार्यलय अमृतसर


प्रा० लि० अथवा सि०

विद्यालय शिक्षा समिति २२०/५० वि०

प्रखंड २१६-१५२ को पिन १ के निर्माण कार्य हेतु
 प्राप्त राशि १५११०० = ₹ में से अग्रिम राशि रुपये
 १५९,५०५ = ₹ उपलब्ध करायी गयी थी। उपलब्ध कराये गये
 उपयोगिता प्रमाण-पत्र / गणनी पुस्तिका के अनुसार ~~रु०~~ स्तर
 तक निर्माण कार्य हो चुका है तथा रुपये १५५७०७ = ₹ का उपयोगिता
 प्रमाण-पत्र प्रस्तुत है। विद्यालय शिक्षा समिति को विकी कर रुपये ३११५ = ₹ एवं
 शैक्ली रुपये २३३६ = ₹ की कटौती करते हुए अगले फिस्त की राशि रुपये
 ६२,३३७ = ₹ (₹ २००० की रकम अग्रिम के रूप में उपलब्ध बनाने का आदेश देना चाहेंगे एवं अभी तक के सभी निर्गत
 राशियों का समायोजन करते हुए राशिका नन्द करने का आदेश देना चाहेंगे।

विद्यालय शिक्षा समिति
 अमृतसर
 ०९-०१-०८

Munir
 9/1/08



G.No. 271556/12.7 08

(1)

श्री सीताराम चौधरी

अध्यक्ष विद्यालय शिक्षा समिति और प्रखण्ड सरासरी केंद्र समन्वयक द्वारा

..... श्री विद्यालय शिक्षा समिति के बीच एक उपकरण

..... निर्माण हेतु एकतरफा किया गया तथा निम्नलिखित की

अप्रतिमति में हस्ताक्षर किये गए और प्रस्तुत किया गया।

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

1. प्रखण्ड सरासरी केंद्र समन्वयक
(पुरा नाम , हस्ताक्षर एवं मुहर)

रविन्द्र प्रसाद साधु

1. अध्यक्ष
(i) पुरा नाम - सीताराम चौधरी
(ii) हस्ताक्षर - सीताराम चौधरी

2. सचिव
(i) पुरा नाम - चिन्ता देवी
(ii) हस्ताक्षर - चिन्ता देवी

3. प्रधानशिक्षक
(i) पुरा नाम - श्रीगणेश राम
(ii) हस्ताक्षर - श्रीगणेश राम

खाता सं० - 3172

बैंक का नाम - संजय शास्त्री बैंक
(सीताराम)

समिति का मुहर ..

(12)

शिव शिक्षा अभियान, औरंगाबाद

एकरारनामा प्रपत्र

1. यह एकरारनामा प्रपत्र, एकरारनामा के रूप में निम्नलिखित प्रथम पक्ष के अध्यक्ष समन्वयक गवतपुर (जो इसके बाद प्रथम पक्ष के नाम से संज्ञा प्राप्त होंगे) और विद्यालय शिक्षा समिति प्रायुक्त जयानशिरा प्रखण्ड गवतपुर जिला औरंगाबाद (जो इसके बाद द्वितीय पक्ष के नाम के संबोधित होंगे) के बीच एक एक निम्नलिखित कार्य (कार्य के नाम का उल्लेख) करने के लिए निम्नलिखित शर्त पर एकरारनामा बनाया जाता है।

2. ठेके की कीमत :- कार्य का कुल मूल्य (जो इसके बाद अंतिम लागत कहा जाएगा) (यहाँ में) है।

3. निधि आवंटन :-

3.1 द्वितीय पक्ष द्वारा समिति के नाम से जो खाता खोला गया है जिसका संचालन प्रधानाध्यापक तथा उनके द्वारा हस्ताक्षर हो रहा है, उसी खाते में इस कार्य की राशि जमा की जायेगी। राशि प्रखण्ड सक्षमता बंध पर माध्यम से उपलब्ध करा दी जायेगी।

3.2 प्रथम पक्ष द्वारा निर्माण कार्य के लिए भुगतान निम्नलिखित रूप में निर्गत किया जायेगा

	अतिरिक्त स्मरत एवं अन्य स्कीम (प्रायोजित लागत का % के रूप में)	शौचालय (प्रायोजित लागत का % के रूप में)
1. प्रथम किस्त	50%	75%
2. द्वितीय किस्त	35%	---
3. तृतीय किस्त	15%	25%

3.3 प्रत्येक चरण का भुगतान निर्माण कार्य पर नियुक्त कमीय अभियन्ता और सहायक अभियन्ता द्वारा विकृत प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिखाने पर तथा पिछली निर्गत राशि का कम से कम 50 प्रतिशत और इससे पूर्व में निर्गत राशि का 100 प्रतिशत खर्च कर दिया गया है प्रथम पक्ष द्वारा अगले चरण की राशि निर्गत की जायेगी।

4. खाता का संचालन :- द्वितीय पक्ष द्वारा समय पर कार्य करने के लिए किये गये भुगतान के खर्च का अंतिम ब्यौरा रखेगा यह ब्यौरा प्रथम पक्ष के व अन्य दलों के भ्रमण के समय जो इस कार्य के निरीक्षण के लिए प्रतिनियुक्त होगी, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

(3)

श्री सीताराम चौधरी

अध्यक्ष, विद्यालय शिक्षा समिति और प्रखण्ड संसाधन केंद्र समन्वयक द्वारा

प्राथमिक शैक्षणिक संस्थान समिति के बीच इ. ड. उगरी

निर्माण हेतु एकरारनामा किया गया तथा निम्नलिखित की

एकस्थिति में हस्ताक्षर किया गया और प्रस्तुत किया गया।

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

1. प्रखण्ड संसाधन केंद्र समन्वयक
(पुरा नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर)

राजेश्वर प्रसाद शर्मा

1. अध्यक्ष

(i) पुरा नाम - सीताराम चौधरी
(ii) हस्ताक्षर - सीताराम चौधरी

2. सचिव

(i) पुरा नाम - पिन्ता देवी
(ii) हस्ताक्षर - पिन्ता देवी

3. प्रधानशिक्षक

(i) पुरा नाम - श्रीवत्सलराम
(ii) हस्ताक्षर - श्रीवत्सलराम

खाता सं० - 3142

बैंक का नाम - सज्जद ग्रामीण बैंक, पार
(सौराष्ट्र)

समिति का मुहर -



- (4) सुनिश्चित करेगा कि सामग्री की खरीदारी आवश्यकतानुसार एनेक्चर-1 के अनुरूप हो (आई. एस. आई.) प्रमाणित सामग्री जहाँ तक सम्भव हो खरीदारी में प्राथमिकता दी जाय तथा वह राष्ट्रीय क्रम प्रक्रिया के तहत विभिन्न चरणों के लिए खरीदी जाय जैसा कि विश्व बैंक खरीदारी निर्देश में अंकित है।
- (5) नियमित रूप से कार्य की प्रगति का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करेगा तथा पर्यवेक्षक/अभियंता द्वारा दिये गये तकनीकी सलाह/निर्देश का पालन करेगा।
- (6) किसी भी प्रकार की अनियमितता को पहले पक्ष के प्रतिनिधि, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/निरीक्षक/सहायक अभियंता को सूचित करेगा और आवश्यक स्वष्टीकरण मांगेगा।
- (7) यह सुनिश्चित करेगा कि काँट नक्शे और प्रारूप के अनुरूप, कुल प्रायकलित राशि के अन्दर सामग्री की कीमत घटने बढ़ने के बावजूद किया जा सकेगा।
- (8) प्रखण्ड संसाधन केन्द्र को कार्य की प्रगति से अवगत कराता रहेगा।
- (9) निर्माण के दौरान पैसा/सामग्री के गलत उपयोग को रोकेंगा।
- (10) सभी प्रकार के डक्यूटी के तहत वहन करने का प्रावधान है। (प्रथम पक्ष नियम और कानून के तहत इस प्रकार के टैप्स की कटौति कर सकती है।)

7.2 विशेष परिस्थिति में दूसरा पक्ष पहले पक्ष के स्वीकृति से निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पीएस वर्क वेंसिस (छोटे-छोटे स्तर) पर कार्य करा सकते हैं या किसी सुयोग्य गैर सरकारी संस्था या मान्य निर्माण संस्था जिसका पुराना रिकॉर्ड लोक भागीदारी में अच्छा रहा है से कार्य करवा सकते हैं। इस परिस्थितियों में गैर सरकारी संस्था/निर्माण संस्था की जिम्मेदारी किसी भी प्रकार की सामग्री के खोने या चोरी होने की, नफ़ेद या मजदुर क्षतिपूर्ति भुगतान तथा अन्य घटनाओं के लिए तथा अन्य इस प्रकार के भुगतान की जिम्मेदारी उसकी होगी और प्रथम पक्ष का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।

8. **विवाद या मतभेद :-** यदि कार्य को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद एकरारनामा के किसी भी स्तर पर होता है तो दोनों पक्ष पिचार-विमर्श कर हल ढुबने का प्रयास करेंगे फिर भी मतभेद नहीं सुलझने पर यह विवाद सुलह हेतु जिले के जिलाधिकारी के समक्ष रखा जायेगा। (विभिन्न कार्यक्रम के लिए इसमें फेर बदल किया जा सकता है।)

5

4.1 निधि के दुरुपयोग करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पूछताछ एवं आन्वेषण जो आवश्यक प्रतीत हो, के उपरान्त प्रथम पक्ष को निर्माण समिति का खाता जप्त करने का अधिकार होगा।

5. कार्य पूरा करने की अवधि :-

इस एकरारनामा की तिथि से(महीना, सप्ताह/दिन) में कार्य पूरा कर लिया जायेगा विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस कठिका उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

6. प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :-

6.1 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को प्रारूप के अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रारूप के अनुसार निर्माण और निर्माण से संबंधित सामानों की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राधिकृत कर्मों निर्माण स्थल का नियमित भ्रमण करेंगे और लिखित मार्ग दर्शन भी देंगे।

6.2 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष का प्रस्तावित कार्य के लिए नक्शों की तीन प्रतियाँ प्रारूप और मार्गदर्शन देगा।

6.3 जिला परियोजना अभियंता या परियोजना प्राधिकारी के अधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति प्रखण्ड स्तर पर संबंधित कनीय अभियंता एवं समिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में सुधार किया जा सकता है।) बैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्रभारी कनीय अभियंता कार्य प्रगति का आँकन ब्यास और कार्य में होने वाली कठिनाईयों का उल्लेख करेंगे जो संबंधित समिति के सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।

6.4 एकरारनामा में उल्लेखित किये गये किसी भी शर्तों की अवहेलना करने पर या कार्य स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दौरान किसी भी स्तर पर कार्य को रोक या स्थगित कर सकता है और भुगतान किये गये राशि को पुनः वापस करने की मांग कर सकता है।

7. द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :-

7.1 द्वितीय पक्ष :-

- (1) कठिका 5 में वर्णित समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।
- (2) निर्माण कार्य के लिए कुशल और योग्य व्यक्ति को कार्य में लगाएगा।
- (3) विभिन्न कार्यों के लिए अधिसूचित दर पर मजदूरी भुगतान करेगा।

(2)



1



सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद एकररनामा प्रपत्र

1. यह एकररनामा प्रपत्र एकररनामा के निर्माण के लिए प्रथम पक्ष (जो इसका नाम समन्वयक राजेश कुमार (जो इसके बाद प्रथम पक्ष के नाम से संदर्भित होगा) और विद्यालय शिक्षा समिति ब्राउनिंग न्यायनिका (जो इसके बाद द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित होगी) के बीच राजेश कुमार और निर्माण कार्य (कार्य के नाम के उल्लेख) करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर एकररनामा बनाया जाता है।

2. ठेके की कीमत :- कार्य का कुल मूल्य (जो इसके बाद कुल लागत कहा जायेगा) ₹ 10,00,000 (दश लाख) है।

3. निधि आवंटन :-

3.1 द्वितीय पक्ष द्वारा समिति के नाम से जो खाता खोला गया है जिसका संचालन प्रधानाध्यापक तथा संचयक के हस्ताक्षर हो रहा है उसी खाते में इस कार्य की राशि जमा की जायेगी। राशि प्रथम पक्ष द्वारा के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

3.2 प्रथम पक्ष द्वारा निर्माण कार्य के लिए निम्नलिखित शर्तों पर निर्माण किया जायेगा।

	अभिज्ञान (प्रकल्पित लागत का % के रूप में)	विद्यालय (प्रकल्पित लागत का % के रूप में)
1. प्रथम किस्त	30%	75%
2. द्वितीय किस्त	35%	—
3. तृतीय किस्त	15%	25%

3.3 प्रत्येक चरण का भुगतान निर्माण स्थल पर नियुक्त कर्मीय अभियन्ता और सहायक अभियन्ता द्वारा विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिखाने पर तथा पिछली निर्गत राशि का कम से कम 50 प्रतिशत और इसके पूर्व में निर्गत राशि का 100 प्रतिशत व्यव कर दिया गया है। प्रथम पक्ष द्वारा अगले चरण की राशि निर्गत की जायेगी।

4. खाता का संचालन :- द्वितीय पक्ष द्वारा समय पर कार्य करने के लिए किये गये मुहताब के खर्च का अलग ब्यौरा रखेगा। यह ब्यौरा प्रथम पक्ष के या अन्य पक्षों के धनपत्र के समय जो इस कार्य के निरीक्षण के लिए प्रतिनियुक्त होगी, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

(7)

श्री ~~सीता राम चौधरी~~

अध्यक्ष विद्यालय शिक्षा समिति और परबण्ड सहायक केंद्र समन्वयक द्वारा

~~आयोजित प्रस्ताव शिक्षा समिति के बीच~~ ~~रुद्र उग्रा~~

..... निर्माण हेतु एकत्रित किया गया तथा निम्नलिखित की

उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया और प्रस्तुत किया गया।

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

1. परबण्ड सहायक केंद्र समन्वयक
(पुरा नाम . हस्ताक्षर एवं मुद्रा)

राजेश्वर प्रसाद साव

1. अध्यक्ष
(i) पुरा नाम ~~सीताराम चौधरी~~
(ii) हस्ताक्षर ~~सीताराम चौधरी~~

2. सचिव
(i) पुरा नाम - ~~पिन्ता देवी~~
(ii) हस्ताक्षर - ~~पिन्ता देवी~~

3. प्रधानशिक्षक
(i) पुरा नाम - ~~श्रीधर प्रसाद~~
(ii) हस्ताक्षर - ~~श्रीधर प्रसाद~~

खाता सं० - 3142

बैंक का नाम - ~~राजस्थान आर्य समाज बैंक~~

8

- (4) सुनिश्चित करेगा कि सामग्री की खरीदारी आवश्यकतानुसार एन्वेचर-1 के अनुरूप हो (आई. एस. आई.) प्रमाणित सामग्री जहाँ तक सम्भव हो खरीदारी में प्राथमिकता दी जाय तथा वह राष्ट्रीय क्रय प्रक्रिया के तहत विभिन्न चरणों के लिए खरीदी जाय जैसा कि विश्व बैंक खरीदारी निर्देश में अंकित है।
- (5) नियमित रूप से कार्य की प्रगति का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करेगा तथा पर्यवेक्षक/अभियंता द्वारा दिये गये तकनीकी सलाह/निर्देश का पालन करेगा।
- (6) किसी भी प्रकार की अनियमितता को पहले पक्ष के प्रतिनिधि, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/निरीक्षक/सहायक अभियंता को सूचित करेगा और आवश्यक स्पष्टीकरण मांगेगा।
- (7) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य नवशे और प्रारूप के अनुरूप, कुल प्राक्कलित राशि के अन्दर सामग्री की कीमत घटने बढ़ने के बावजूद किया जा सकेगा।
- (8) प्रखण्ड ससाधन केन्द्र को कार्य की प्रगति से अवगत कराया रहेगा।
- (9) निर्माण के दौरान पैसा/सामग्री के गलत उपयोग को रोकेंगा।
- (10) सभी प्रकार के खर्चों के तहत रहने करने का प्रावधान है। (प्रथम पक्ष नियम और कानून के तहत इस प्रकार के टैक्स की कटौति कर सकती है।)

7.2 विशेष परिस्थिति में दूसरा पक्ष पहले पक्ष के स्वीकृति से निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पीएस बर्क दरिफ (छोटे-छोटे स्तर) पर कार्य करा सकते हैं या किसी सुयोग्य गैर सरकारी संस्था या मन्व्य निर्माण संस्था जिसका पुराना रिकार्ड लोक भागीदारी में अच्छा रहा है से कार्य करवा सकते हैं। इस परिस्थितियों में गैर सरकारी संस्था/निर्माण संस्था की जिम्मेदारी किसी भी प्रकार की सामग्री के खोने या चोरी होने को, नकल या नजदुर क्षतिपूर्ति भुगतान तथा अन्य घटनाओं के लिए तथा अन्य इस प्रकार के भुगतान की जिम्मेदारी उसकी होगी और प्रथम पक्ष का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।

B. विवाद या मतभेद :- यदि कार्य को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद एकरारनामा के किसी भी स्तर पर होता है तो दोनों पक्ष पियार-विगर्श कर हल बुढ़ने का प्रयत्न करेंगे फिर भी मतभेद नहीं सुलझने पर यह विवाद सुलह हेतु जिले के जिलाधिकारी के सम्मुख रखा जायेगा। (विभिन्न कार्यक्रम के लिए इसमें फेर बदल किया जा सकता है।)

4.1 निधि के दुरुपयोग करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पूछताछ एवं आन्वेषण जो आवश्यक प्रतीत हो, के उपरान्त प्रथम पक्ष को निर्माण समिति का स्वाता जप्त करने का अधिकार होगा।

5. कार्य पूरा करने की अवधि :-

इस एकरारनामा की तिथि से(महीना, सप्ताह/दिन) में कार्य पूरा कर लिया जायेगा विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस कंडिका उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

6. प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :-

6.1 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को प्रारूप के अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रारूप के अनुसार निर्माण और निर्माण से संबंधित सामानों की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए प्रथम पक्ष के अधिकृत कर्मी निर्माण स्थल का नियमित भ्रमण करेंगे और लिखित मार्ग दर्शन भी देंगे।

6.2 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष का प्रस्तावित कार्य के लिए नक्शों की तीन प्रतियाँ प्रारूप और मार्गदर्शन देगा।

6.3 जिला परियोजना अभियंता या परियोजना प्राधिकारी के अधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति प्रखण्ड स्तर पर संबंधित कनीय अभियंता एवं समिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में सुधार किया जा सकता है) बैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्रभारी कनीय अभियंता कार्य प्रगति का आ-तन ब्यौरा और कार्य में होने वाली कठिनाईयों का उल्लेख करेंगे जो संबंधित समिति के सदस्य द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।

6.4 एकरारनामा में उल्लेखित किये गये किसी भी शर्तों की अवहेलना करने पर या कार्य स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दौरान किसी भी स्तर पर कार्य को रोक या स्थगित कर सकता है और मुग्तान किये गये राशि को पुनः वापस करने की मांग कर सकता है।

7. द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :-

7.1 द्वितीय पक्ष :-

- (1) कंडिका 5 में वर्णित समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।
- (2) निर्माण कार्य के लिए कुशल और योग्य व्यक्ति को कार्य में लगाएगा।
- (3) विभिन्न कार्यों के लिए अधिसूचित दर पर मजदूरी मुग्तान करेगा।

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद

एकरारनामा प्रपत्र

1. यह एकरारनामा प्रपत्र, एकरारनामा के अंत में दिनांक को प्रथम पक्ष (जो प्रथम पक्ष के नाम से संदर्भित होगा) और विद्यालय शिक्षा समिति (जो इसके बाद प्रथम पक्ष के नाम से संदर्भित होगा) के बीच (जो इसके बाद द्वितीय पक्ष के नाम से संदर्भित होगा) के बीच निर्माण कार्य (कार्य के नाम और उल्लेख) करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर एकरारनामा बनाया जाता है।

2. ठेके की कीमत :- कार्य की कुल लागत (जो इसके बाद "कुल लागत" कहा जायेगा) (शब्दों में) है।

3. निधि आवंटन :-

3.1 द्वितीय पक्ष द्वारा समिति के नाम से जो खाता खोला गया है जिलका सचालन प्रधानाध्यक्ष तथा समिति के हस्ताक्षर हो रहा है, उस खाते में इस कार्य की राशि जमा की जायेगी। राशि प्रथम पक्ष संसाधन केंद्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।

3.2 प्रथम पक्ष द्वारा निर्माण कार्य के लिए भुगतान निम्नलिखित रूप में निर्गत किया जायेगा :-

	अतिरिक्त ऊमरा एवं अन्य रकम (प्राक्कलित लागत का % के रूप में)	शौचालय (प्राक्कलित लागत का % के रूप में)
1. प्रथम किस्त	50%	75%
2. द्वितीय किस्त	35%	---
3. तृतीय किस्त	15%	25%

3.3 प्रत्येक चरण का भुगतान निर्माण स्थल पर निरूक्त कर्मीय अभियन्ता और सहायक अभियन्ता द्वारा विहित प्रपत्र में उपयुक्त प्रमाण पत्र दिये जाने पर तथा शिथिली निर्गत राशि का कम से कम 50 प्रतिशत और इसके पूर्व में निर्गत राशि का 100 प्रतिशत खर्च कर दिया गया है, प्रथम पक्ष द्वारा अगले चरण की राशि निर्गत की जायेगी।

4. खाता का संचारण :- द्वितीय पक्ष द्वारा समय पर कार्य करने के लिए किये गये भुगतान के खर्च का अलग ब्यौरा रखेगा यह ब्यौरा प्रथम पक्ष के या अन्य दलों के भ्रमण के समय जो इस कार्य के निरीक्षण के लिए प्रतिनियुक्त होगी, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

श्री. श्री. ताराशंकर चौधरी अध्यक्ष, विद्यालय शिक्षा समिति,
 श्री. श्री. ताराशंकर चौधरी सचिव, विद्यालय शिक्षा समिति,
 श्री. श्री. ताराशंकर चौधरी विद्यालय के प्रधानाध्यापक जो द्वितीय पक्ष के
 प्रतिनिधि समझे जायेंगे और प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक के बीच ए.एस. कर्कर
 निर्माण हेतु एकसंरनामा किया गया।

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

1. प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक
 (पुरुष नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर)

श्री. कर्कर-ए.एस.

अवर शिक्षा प्रसार पर्यवेक्षक
 बदायुन, सीताबरी

1. अध्यक्ष

पुरुष नाम :- श्री. ताराशंकर चौधरी
 हस्ताक्षर :-

2. सचिव

पुरुष नाम :- श्री. ताराशंकर चौधरी
 हस्ताक्षर :-

3. प्रधान शिक्षक

पुरुष नाम :- श्री. ताराशंकर चौधरी
 हस्ताक्षर :-

एकसंरनामा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर एवं प्रस्तुत किया गया।

- (1) श्री. ताराशंकर चौधरी सदस्य, (विद्यालय शिक्षा समिति)
- (2) श्री. ताराशंकर चौधरी सदस्य, (विद्यालय शिक्षा समिति)

खाता सं. :- 3172
 बैंक का नाम :- यू.ए.ए. बैंक
 समिति का मुहर :-

श्री. ताराशंकर चौधरी

- (1) कठिना 5 में वर्णित समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।
- (2) निर्माण कार्य के लिए कुशल और योग्य व्यक्ति को कार्य में लगाएगा।
- (3) विभिन्न कार्यों के लिए अधिसूचित दर पर मजदूरी भुगतान करेगा।
- (4) सुनिश्चित करेगा कि सामग्री की खरीदारी आवश्यकतानुसार एनेक्चर-1 के अनुरूप हो (आई.एस.आई.) प्रमाणित सामग्री जहाँ तक सम्भव हो खरीदारी में प्राथमिकता दी जाय तथा यह राष्ट्रीय क्रय प्रक्रिया के तहत विभिन्न धरणों के लिए खरीदी जाय, जैसा कि विश्व बैंक खरीदारी निर्देश में अंकित है।
- (5) नियमित रूप से कार्य की प्रगति का पर्यवेक्षण और अनुभवण करेगा तथा पर्यवेक्षक/अभियंता द्वारा दिये गये तकनीकी सलाह/निर्देश का पालन करेगा।
- (6) किसी भी प्रकार की अनियमितता को पहले पक्ष के प्रतिनिधि, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/निरीक्षक/सहायक अभियंता को सूचित करेगा और आवश्यक स्पष्टीकरण मागेगा।
- (7) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य नवरो और धारण के अनुसूप, कुल प्राक्कलित राशि के अन्दर सामग्री की कीमत घटने बढ़ने के मावजूद किया जा सकेगा।
- (8) प्रखण्ड सासाधन केन्द्र को कार्य की प्रगति से अवगत कराता रहेगा।
- (9) निर्माण के दौरान पेसा/सामग्री के गलत उपयोग को रोकेंगा।
- (10) सभी प्रकार के ड्यूटी के तहत बहन करने का प्रावधान है। (प्रथम पक्ष नियम और कानून के तहत इस प्रकार के टैक्स की कटौति कर सकती है।)

7.2

विशेष परिस्थिति में दूसरा पक्ष पहले पक्ष के स्वीकृति से निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पीस वर्क वेंचिस (छोटे-छोटे स्तर) पर कार्य करा सकते हैं या किसी सुयोग्य गैर सरकारी संस्था या मान्य निर्माण संस्था जिमाका पुराना रिकार्ड लोक खरीदारी में अक्ल रहा है से कार्य करवा सकते हैं। इस परिस्थिति में गैर सरकारी संस्था/निर्माण संस्था की जिम्मेवारी किसी भी प्रकार की सामग्री के छोने या चोरी होने की नकद या मजदूर क्षतिपूर्ति भुगतान तथा अन्य घटनाओं के लिए तथा अन्य इस प्रकार के भुगतान की जिम्मेवारी उसकी होगी और प्रथम पक्ष का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।

8.

विवाद या मतभेद - यदि कार्य को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद एकतरफा के किसी भी स्तर पर होता है तो दोनों पक्ष विचार-विमर्श कर हल बुकने का प्रयास करेंगे फिर भी मतभेद नहीं सुलझने पर यह विवाद सुलह हेतु जिले के पदाधिकारी के समक्ष रखा जायेगा। (विभिन्न कार्यक्रम के लिए इसमें फेर बदल किया जा सकता है।)

12

4. खाता का संभारण- द्वितीय पक्ष द्वारा समय पर कार्य करने के लिए किये गये भुगतान के खर्च का अलग खाता रखेगा यह बीरा प्रथम पक्ष के या अन्य दलों के भ्रमण के समय जो इस कार्य के निरीक्षण के लिए प्रतिनियुक्त होगी, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

4.1 निधि के दुरुपयोग करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पूछताछ एवं अन्वेषण जो आवश्यक प्रतीत हो, के उपरान्त प्रथम पक्ष को निर्माण समिति का खाता जप्त करने का अधिकार होगा।

5. कार्य पूरा करने की अवधि:-

इस एकरारनामा की तिथि से..... (महिना, सप्ताह/दिन) में कार्य पूरा कर लिया जायेगा विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस कंडिका उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

6. प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :-

6.1 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को प्रारूप के अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रारूप के अनुसार निर्माण और निर्माण से संबंधित सामानों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राधिकृत कर्मी निर्माण स्थल का नियमित भ्रमण करेंगे और लिखित मार्गदर्शन भी देंगे।

6.2 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष का प्रस्तावित कार्य के लिए तबकों की एक प्रतिथी प्रारूप और मार्गदर्शन देगा।

6.3 जिला परियोजना अभियंता या परियोजना प्राधिकारी के अधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति प्रखण्ड स्तर पर संबंधित कनीय अभियंता एवं समिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में सुधार किया जा सकता है।) बैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्रभावी कनीय अभियंता कार्य प्रगति का अद्यतन बीरा और कार्य में होने वाली कठिनाईयों का उल्लेख करेंगे जो संबंधित समिति के सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।

6.4 एकरारनामा में उल्लेखित किये गये किसी भी शर्तों की अपहेलना करने पर या कार्य स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दौरान किसी भी स्तर पर कार्य को रोक या स्थगित कर सकता है और भुगतान किये गये राशि को पुनः वापस करने की मांग कर सकता है।

7. द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :-



सर्व शिक्षा अभियान, आरंगाबाद

एकराजनामा प्रपत्र

1 यह एकराजनामा प्रपत्र एकराजनामा के रूप में दिनांक को प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक (जो इसके बाद प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित होंगे) और विद्यालय शिक्षा समिति (जो इसके बाद द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित होंगे) के बीच (जो इसके बाद तृतीय पक्ष के नाम से संबोधित होंगे) के बीच निर्माण कार्य (कार्य के नाम का उल्लेख) करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर एकराजनामा बनाया जाता है।

2 उक्त की कीमत :- कार्य की कुल लागत (जो इसके बाद "कुल लागत" कहा जायेगा) (शब्दों में) है।

3 विधि आवंटन :-

3.1 द्वितीय पक्ष द्वारा समिति के नाम से जो खाता खोला गया है जिसका संचालन प्रधानाध्यापक तथा समित्य के हस्ताक्षर से हो रहा है, उसी खाते में इस कार्य की राशि जमा की जायेगी। राशि प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

3.2 प्रथम पक्ष द्वारा निर्माण कार्य के लिए भुगतान निम्नलिखित रूप में निर्गत किया जायेगा -

	अतिरिक्त कमाता एवं अन्य स्कीम (प्राक्कलित लागत का % के रूप में)	सौचालय (प्राक्कलित लागत का % के रूप में)
1. प्रथम किस्त	75%	75%
2. अंतिम किस्त	25%	25%

3.3 प्रत्येक धरण का भुगतान विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा दिये गये खर्च का न्यौसा (S.O.E.) और माफी पुस्तिका (M.E.) में जा कम होगा उसे बाकी हुए खर्चों निर्गत राशि का कम से कम 75 प्रतिशत और इसके पूर्व में निर्गत राशि का 100 प्रतिशत खर्च कर दिया गया है, प्रथम पक्ष द्वारा अगले धरण की राशि निर्गत की जायेगी।

(13)

श्री. शंतिराम शर्मा अध्यक्ष, विद्यालय शिक्षा समिति,
 श्री. ए. जे. एल. एल. एल. सचिव, विद्यालय शिक्षा समिति,
 श्री. राजेश प्रसाद प्रधानाध्यापक जो द्वितीय पक्ष के
 प्रतिनिधि समझे जायेंगे और प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक के बीच
 निर्माण हेतु एकरास्तामा किया गया।

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

1. प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक
(पुरा नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर)

राजेश प्रसाद

मुख्य शिक्षा प्रसार पदाधिकारी
पटनपुर, कोयंबाकर

1. अध्यक्ष,

पुरा नाम - शंतिराम शर्मा

हस्ताक्षर :-

2. सचिव,

पुरा नाम :-

हस्ताक्षर :-

3. प्रधान शिक्षक,

पुरा नाम :-

हस्ताक्षर :-

एकरास्तामा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर एवं प्रस्तुत किया गया।

- (1) शंतिराम शर्मा सदस्य, (विद्यालय शिक्षा समिति)
- (2) ए. जे. एल. एल. सदस्य, (विद्यालय शिक्षा समिति)

छात्रा सं. - 3172

बैंक का नाम - केवाई एमएल बैंक शाखा - पार

समिति का मुहर :-

(14)

7.1 द्वितीय पक्ष :-

- (1) कड़िका 5 में परिणत समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पुरा करेगा।
- (2) निर्माण कार्य के लिए कुराल और योग्य व्यक्ति को कार्य में लगाएगा।
- (3) विभिन्न कार्यों के लिए अधिसूचित दर पर मजदूरी भुगतान करेगा।
- (4) सुनिश्चित करेगा कि सामग्री की खरीदारी आवश्यकतानुसार एनैक्चर-1 के अनुरूप हो (आइ.एस.आई.) प्रमाणित सामग्री जहाँ तक सम्भव हो खरीदारी में प्रथमिकता दी जाय तथा वह राष्ट्रीय क्रय प्रक्रिया के तहत विभिन्न धरणों के लिए खरीदी जाय, जैसा कि विषय बैंक खरीदारी निर्देश में अंकित है।
- (5) नियमित रूप से कार्य की प्रगति का पर्यवेक्षण और अनुभवण करेगा तथा पर्यवेक्षक/अभियंता द्वारा दिये गये तकनीकी सलाह/निर्देश का पालन करेगा।
- (6) किसी भी प्रकार की अनिगमितता को पहले पक्ष के प्रतिनिधि, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/निरीक्षक/सहायक अभियंता को सुचित करेगा और आवश्यक स्पर्धीकरण मागेगा।
- (7) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य नगरो और प्रारूप के अनुरूप, कुल प्राक्कलित गर्शि के अन्दर सामग्री की कीमत घटने बढ़ने के बावजूद किया जा सकेगा।
- (8) प्रखण्ड संसाधन केन्द्र को कार्य की प्रगति से अवगत कराता रहेगा।
- (9) निर्माण के दौरान पैसा/सामग्री के गलत उपयोग को रोकेगा।
- (10) सभी प्रकार के ड्यूटी के तहत बहन करने का प्रावधान है। (प्रथम पक्ष नियम और कानून के तहत इस प्रकार के टैक्स की कटौति कर सकती है।)

7.2 विशेष परिस्थिति में दूसरा पक्ष पहले पक्ष के स्वीकृति से निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए पीस वर्क बेसिस (छोटे-छोटे स्तर) पर कार्य करा सकते हैं या किसी सुयोग्य गैर सरकारी संस्था या मान्य निर्माण संस्था जिराता पुराना रिकार्ड लोक भगीदारी में भ्रष्टा चहा है से जाय करवा सकते हैं। इस परिस्थिति में गैर सरकारी संस्था/निर्माण संस्था की जिम्मेवारी किसी भी प्रकार की सामग्री के खोने या चोरी होने की, नकद या मजदुर क्षतिपूर्ति भुगतान तथा अन्य घटनाओं के लिए तथा अन्य इस प्रकार के भुगतान की जिम्मेवारी उसकी होगी और प्रथम पक्ष का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।

8 विवाद या मतभेद :- यदि कार्य को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद एकसरनामा के किसी भी स्तर पर होता है तो दोनों पक्ष विचार-विमर्श कर हल बुझने का प्रयास करेंगे फिर भी मतभेद नहीं सुलझने पर यह विवाद सुलह हेतु जिले के पदाधिकारी के सामक्ष रखा जायेगा। (विभिन्न कार्यक्रम के लिए इसमें फेर बदल किया जा सकता है।)

4. खाता का संभारण—द्वितीय पक्ष द्वारा समय पर कार्य करने के लिए किये गये भुगतान के खर्च का अलग ब्यौरा रखेगा यह ब्यौरा प्रथम पक्ष के या अन्य दलों के भ्रमण के समय जो इस कार्य के निरीक्षण के लिए प्रतियुक्त होगी, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

4.1 निधि के दुरुपयोग करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पूछताछ एवं अन्वेषण जो आवश्यक प्रतीत हो, के उपरान्त प्रथम पक्ष को निर्माण समिति का खाता जप्त करने का अधिकार होगा।

5. कार्य पूरा करने की अवधि—

इन एकरारनामा की तिथि से..... (महिना, सप्ताह/दिन) में कार्य पूरा कर लिया जायेगा विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस कंडिका उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

6. प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :-

6.1 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को प्रारूप के अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रारूप के अनुसार निर्माण और निर्माण से संबंधित सामानों की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राधिकृत कर्मी निर्माण स्थल का नियमित भ्रमण करेंगे और लिखित मार्गदर्शन भी देंगे।

6.2 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष का प्रस्तावित कार्य के लिए नक्शों की एक प्रतियों प्रारूप और मार्गदर्शन देगा।

6.3 जिला परियोजना अभियंता या परियोजना प्राधिकारी के अधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति प्रखण्ड स्तर पर संबंधित कनीय अभियंता एवं समिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में सुधार किया जा सकता है।) बैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्रभारी कनीय अभियंता कार्य प्रगति का अद्यतन ब्यौरा और कार्य में होने वाली कठिनाईयों का उल्लेख करेंगे जो संबंधित समिति के सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए पूरी टीम समुक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।

6.4 एकरारनामा में उल्लेखित किये गये किसी भी शर्तों की अवहेलना करने पर या कार्य स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दौरान किसी भी स्तर पर कार्य को रोक या स्थगित कर सकता है और भुगतान किये गये राशि को पुनः वापस करने की मांग कर सकता है।

7. द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :-

16

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद एकरारनामा प्रपत्र

1. यह एकरारनामा प्रपत्र, एकरारनामा के रूप में दिनांक को प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक (जो इसके बाद प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित होंगे) और विद्यालय शिक्षा समिति (जो इसके बाद द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित होंगे) के बीच (जो इसके बाद द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित होंगे) के बीच निर्माण कार्य (कार्य के नाम का उल्लेख) करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर एकरारनामा बनाया जाता है।

2. ठेके की कीमत - कार्य की कुल लागत (जो इसके बाद "कुल लागत" कहा जायेगा) (शब्दों में) है।

3. निधि आवंटन -

3.1 द्वितीय पक्ष द्वारा समिति के नाम से जो खाता खोला गया है जिसका संचालन प्रधानाध्यापक तथा सचिव के हस्ताक्षर से हो रहा है, उसी खाते में इस कार्य की राशि जमा की जायेगी। राशि प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

3.2 प्रथम पक्ष द्वारा निर्माण कार्य के लिए भूगतान निम्नलिखित रूप से निर्गत किया जायेगा :-

	अतिरिक्त कर्मर एवं अन्य स्कीम (प्राक्कलित लागत का % के रूप में)	श्रीपालय (प्राक्कलित लागत का % के रूप में)
1. प्रथम किरात	75%	75%
2. अतिरिक्त किरात	25%	25%

3.3 प्रत्येक धरण का भूगतान विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा दिये गये खर्च का स्वीच (S.O.E.) और मापी पुस्तिका (M.B.) में जो कम होगा उस नालते हुए दिवारों निर्गत राशि का कम से कम 75 प्रतिशत अर्थात् इसके पूर्व में निर्गत राशि का 100 प्रतिशत खर्च कर दिया गया है. प्रथम पक्ष द्वारा अगले धरण की राशि निर्गत की जायेगी।

20

सर्वोपरि सुपरिन्टेन्डेंट के अधीन में
ए. ए. ए. के अंतर्गत निम्नलिखित -
Supervisor charge Rs 900 (नि. सं. 20/4/71)
यदि कोई भी

4.5.00
21/4/71
21/4/71

99

Form No. 132
J. V. A. Form No. 21.

MUSTER ROLL

J. C. Form No. 49
(See T. C. Rule 40)

Cash Book Voucher No. _____ dated the _____ 19____

Name of work: शुद्ध भूमि विभाग का कार्य Part - Monthly Roll

Sl. No.	Name (entered according to Class)	Father's Name	DATES										Rate	Amount	Dated Initial and remark of paying officer made at the time of payment together with the paper's allowed amount the paying officer is below- rank of a subordinate officer.			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				Total		
1	Sub-head of the work to which applicable शुद्ध भूमि विभाग	शुद्ध भूमि विभाग	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	120	00	960	00	10/10/19
2	शुद्ध भूमि विभाग	शुद्ध भूमि विभाग	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	120	00	960	00	10/10/19
3	शुद्ध भूमि विभाग	शुद्ध भूमि विभाग	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	120	00	960	00	10/10/19
4	शुद्ध भूमि विभाग	शुद्ध भूमि विभाग	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	68	00	544	00	10/10/19
5	शुद्ध भूमि विभाग	शुद्ध भूमि विभाग	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	68	00	544	00	10/10/19
6	शुद्ध भूमि विभाग	शुद्ध भूमि विभाग	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	68	00	544	00	10/10/19
7	शुद्ध भूमि विभाग	शुद्ध भूमि विभाग	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	68	00	544	00	10/10/19
8	शुद्ध भूमि विभाग	शुद्ध भूमि विभाग	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	68	00	544	00	10/10/19
Total													64	544	00	5600	00	

Prepared for No. 1 _____ Inspect

Dated the _____ 19____

Sub-divisional Officer

Sub-division

Rs. _____ P. _____

Grand total of this muster roll _____

Deficiency Payment not made, as per details furnished to auditor of accounts _____

24

अनुच्छेद - ११

अर्जाद्वारा प्रमाणित की गई जानकारी

दिनांक: 20.05.2025
स्थान: ...

अर्जाकर्ता का नाम: ... पता: ...

क्र.सं.	अर्जाकर्ता का नाम एवं पता	दिनांक	अर्जाकर्ता का पता	अर्जाकर्ता का पता						अर्जाकर्ता का पता	अर्जाकर्ता का पता	अर्जाकर्ता का पता	अर्जाकर्ता का पता	अर्जाकर्ता का पता	अर्जाकर्ता का पता	अर्जाकर्ता का पता	अर्जाकर्ता का पता	अर्जाकर्ता का पता	
				1	2	3	4	5	6										
38
39
40
41
42
43
44

अर्जाकर्ता का पता: ...
अर्जाकर्ता का पता: ...
अर्जाकर्ता का पता: ...

29

LV - Form No. 132
A. Form No. 21.

MUSTER ROLL

T. G. Form No - 42
[See T. G. Rule 40]

जयपुर सिविल

Cash Book Voucher no.

dated the

19

2

काम - २००५ वि० वि० मंत्रालय जयपुर

Part I - Nominal Roll.

Sl. No.	Name (printed according to Census)	Father's name.	DATE - 29-7-2005											Rate	Amount	Dated month and name of paying office made at the time of payment to order. With the date of knowledge when the paying officer is below the rank of a sub-divisional officer.			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total						
1	Sub-head of the work to which chargeable														Rs.	P.	Rs.	P.	10/15/05/21/05
1	विद्युत कर्म	विद्युत - विद्युत	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	120	00	1200	00		
2	सुरक्षा कर्म	सुरक्षा - कर्म	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	120	00	1200	00	25/2/05/10/10/05	
3	सर्वेक्षण कर्म	सर्वेक्षण - कर्म	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	68	00	680	00	10/15/05/21/05	
4	सुरक्षा कर्म	सुरक्षा - कर्म	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	68	00	680	00	10/15/05/21/05	
5	सुरक्षा कर्म	सुरक्षा - कर्म	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	68	00	680	00	10/15/05/21/05	
6	सुरक्षा कर्म	सुरक्षा - कर्म	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	68	00	680	00	10/15/05/21/05	
7	सुरक्षा कर्म	सुरक्षा - कर्म	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	68	00	680	00	10/15/05/21/05	
8	सुरक्षा कर्म	सुरक्षा - कर्म	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	68	00	680	00	10/15/05/21/05	
9	सुरक्षा कर्म	सुरक्षा - कर्म	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	68	00	680	00	10/15/05/21/05	
10	सुरक्षा कर्म	सुरक्षा - कर्म	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	68	00	680	00	10/15/05/21/05	
11	सुरक्षा कर्म	सुरक्षा - कर्म	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	68	00	680	00	10/15/05/21/05	
Total																			
Months of present holding the duty attendance.																			
Months of intervening illness																			

19

Signature _____

Sub-division _____

Rs. P.

Rs.

Total cost of this muster roll _____

Deduct - Payment not made, as per details referred to register of arrears - Part II _____

Balance paid _____

Add - Arrears of previous muster roll now paid off, as per details of register of arrears - Part II _____

Total amount paid (in words) Rupees _____

Signature _____

अनुसूचक - 'अ'

अन्तर्गत योजना हेतु माहिर रीत

पान: ०१
 पत्रांक: ३११३/१
 दिनांक: २०/०५/२०१५

दिनांक का माता: १५/०५/२०१५, अर्थ: १५/०५/२०१५, पानका सं: १५, पत्र: ०१, पत्रांक: ३११३/१, अन्तर्गत योजना हेतु माहिर रीत, २०१५ हेतु अन्तर्गत योजना हेतु माहिर रीत

क्र.सं.	कार्य का नाम एवं वर्ग	दिनांक का माता	अर्थ: अन्तर्गत योजना हेतु माहिर रीत	वर्ग संख्या संख्या						वर्ग	पत्रांक	माता		दिनांक का माता	अन्तर्गत योजना हेतु माहिर रीत
				१	२	३	४	५	६			माता	पत्रांक		
१.	प्रा.सू.अ. वर्ग	१५/०५/२०१५	अन्तर्गत योजना हेतु माहिर रीत	१	२	३	४	५	६	०६	-	-	१५/०५/२०१५	अन्तर्गत योजना हेतु माहिर रीत	
२.	सू.सू.अ. वर्ग	१५/०५/२०१५	अन्तर्गत योजना हेतु माहिर रीत	१	२	३	४	५	६	०६	-	-	१५/०५/२०१५	अन्तर्गत योजना हेतु माहिर रीत	
३.	सू.सू.अ. वर्ग	१५/०५/२०१५	अन्तर्गत योजना हेतु माहिर रीत	१	२	३	४	५	६	०६	-	-	१५/०५/२०१५	अन्तर्गत योजना हेतु माहिर रीत	
४.	सू.सू.अ. वर्ग	१५/०५/२०१५	अन्तर्गत योजना हेतु माहिर रीत	१	२	३	४	५	६	०६	-	-	१५/०५/२०१५	अन्तर्गत योजना हेतु माहिर रीत	
५.	सू.सू.अ. वर्ग	१५/०५/२०१५	अन्तर्गत योजना हेतु माहिर रीत	१	२	३	४	५	६	०६	-	-	१५/०५/२०१५	अन्तर्गत योजना हेतु माहिर रीत	
६.	सू.सू.अ. वर्ग	१५/०५/२०१५	अन्तर्गत योजना हेतु माहिर रीत	१	२	३	४	५	६	०६	-	-	१५/०५/२०१५	अन्तर्गत योजना हेतु माहिर रीत	

अन्तर्गत योजना हेतु माहिर रीत (१५/०५/२०१५) वर्ग संख्या

दिनांक का माता

अन्तर्गत योजना हेतु माहिर रीत

आज दिनांक 29.5.08 को प्रातः जन्म विद्या के प्रांगण में जन्म विद्या सम्बन्धित एक जोड़ी का कार्यालय किया गया। जन्म पुत्र लय से है मा ही जन्म है। इसके ही प्रस्ताव मुद्रा लय से है, जो इस प्रकार है।

प्रस्ताव सं 1:- 20 प्रातः जन्म विद्या, चौर, कदमरु (संयोजित) अतिथि के तहत स्वीकृत जन्म विद्या प्रकल्पित राशि 120000 एक लाख विरा हुआ है तथा पत्नी, पौत्र, जेपसी शिव, की भी लय से प्राप्त हुआ है। दोनों मिश्रित 144000 एक लाख भी कर्मिल हुआ है। जिनका कर्म पुत्र लय से है मा का किया गया है जिन लगी उपायगत सफलता गयी, कदमरु अतिथि के तहत, प्रस्ताव को जारी किया।

प्रस्ताव सं 2:- जन्म विद्या कर्म के निम्नलिखित प्रकार है।

क्र.	विवरण	राशि
1.	स्वीकृत निम्नराशि 570 C.F.T. - 1600.00 - 1120.00	
2.	स्वीकृत निम्नलिखित एक पदुमारी का राशि - 366.00 - 2086.00	
3.	लाभ 1900 C.F.T. - 500.00 - 9500.00	
4.	वास्तु विद्या एक लाख का राशि - 342.00 - 6498.00	
5.	एड 500 रु. - 2351.00 - 1755.00	
6.	लिखित 156 रु. - 1143.00 - 22308.00	
7.	एड 502 रु. - 2251.00 - 11802.00	
8.	राशि एड, लिखित का लाभ से - 912.00 - 912.00	
9.	इस पत्रिका से 9500 - 1500.00 - 14250.00	
10.	विद्या एक ही पदुमारी का राशि - 268.00 - 2546.00	
11.	स्वीकृत राशि तथा राशि - 8961.00 - 8961.00	
12.	एडरी 100 C.F.T. - 1600.00 - 1600.00	
13.	लिखित 25 रु. - 143.00 - 3575.00	
14.	लिखित विद्या का लाभ - 137.00 - 137.00	
15.	लाभ 300 C.F.T. - 500.00 - 1500.00	

(35)

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद।

सर्व जीवू सक्षि का विवरण

सर्व शिक्षा अभियान विवरण

प्रमाणित कर - 159000.00

सर्व जीवू सक्षि का विवरण

क्र.सं.	विवरण	एकक	मात्रा	दर	मूल्य	टिप्पणी
15-07-05	सोन फुल	BR 26	5700 FT	1600.00	9120.00	
16-07-05	सोन फुल कि नव पुस्तक का माल	BR 26	5700 FT	366.00	2086.00	
17-07-05	नाम	"	19000 FT	500.00	9500.00	
17-07-05	नाम कि नव माल का माल	"	"	342.00	6498.00	
19-07-05	SS	"	500 kg	2351.00	11755.00	
19-07-05	नाम	"	156 Bag	143.00	22308.00	
19-07-05	SS	"	502 kg	2351.00	11802.00	
19-07-05	नाम	"	नाम. FT	912.00	912.00	
25-07-05	SS	"	9500 FT	1500.00	14250.00	
25-07-05	SS पुस्तक का माल	"	"	268.00	2546.00	
07-08-15	सोन फुल-सोन	नाम	सोन	सोन	8861.00	
31-09-06	दर	"	1000 FT	1600.00	1600.00	
31-09-06	नाम	"	15 Bag	143.00	3575.00	
31-09-06	नाम कि नव माल का माल	"	"	137.00	137.00	
31-09-06	नाम	"	3000 FT	500.00	1500.00	
31-09-06	नाम कि नव माल का माल	"	3000 FT	362.00	1026.00	
01-10-06	नाम - रोड	"	309 6000	36.00	11029.00	
04-10-06	नाम - रोड	"	50000	1544.00	1544.00	
14-10-06	नाम कि नव माल का माल	"	3 P.P.	50.00	150.00	
25-05-06	नाम	"	3000.00	3000.00	3000.00	
14-11-06	नाम	"	997.00	997.00	997.00	

36

प्रति शिक्षा विभाग के माध्यम से
प्रतिष्ठान के माध्यम से A.C.R-1 लेखन
के माध्यम से सुपरवाइजर अथवा प्रिंसिपल
के माध्यम से लेखन किया गया है।

प्रतिष्ठान के माध्यम से
लेखन किया गया है।
प्रतिष्ठान के माध्यम से
लेखन किया गया है।

(37)

सोनामी -
जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला अधीन में सम्बन्धित
एवं शिक्षा कार्यालय काठमांडू ।

विषय - अर्थ हीन के उपरोक्त कारिगम विरत के
मुआवजे के सम्बन्ध में ।

महाशय ,
उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कहना

है कि राठ प्रह विठ मन्थान विहा में सर्वोच्च अधिकार
के कारिगरे मन्थान का निर्माण हेतु 144000 रु
मात्र धरि निर्माण हुआ (वर्षा का अन्तर्गत राशि प्राप्त
हुआ वा) अर्थ हीन विठ हेतु 144000 रु निर्माण
गया है । अतः आपसे निर्दिष्ट है कि अर्थ

हीन राशि का मुआवजे मन्थानिधन को हेतु
आदेश देना की कृपा करें ।

आपका विश्वासी
(जीव प्रसाद विठ प्रसाद
राठ प्रह विठ मन्थान विहा)

अध्यक्ष का हस्ताक्षर
श्रीतराम चौधरी
सचिव का हस्ताक्षर
श्री जय प्रकाश मिश्र

मन्थानिधन का
निर्माण कार्य
अर्थ हीन के
मुआवजे के
सम्बन्ध में
आदेश देना
की कृपा करें

26/1/9
4/1/9
24/1/9



सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद के तहत
प्राथमिक विद्यालय शिक्षा, अंचल-मदनपुर
में एक अतिरिक्त कमरा निर्माण हेतु
प्राक्कल्पित राशि - रु 1,59,900/-
BIHAR P.W. D.

_____ DIVISION

_____ SUB-DIVISION

MEASUREMENT BOOK.

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद
के वडत प्राथमिक मद्यान बिगडा
Schedule XLV - Form No. 134.

अंचल - मदनपुर में

एक अतिरिक्त कमरा निर्माण हेतु

प्राक्कलित राशि - ₹ 159,900/-

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापपुस्त
में 100 [एक सौ] पृष्ठ हैं।
MEASUREMENT BOOK.

अपरिचालन कार्यक्रम समन्वयक
512550
सर्व शिक्षा अभियान
श. औरंगाबाद
28.09.05

Name of officer

Date of first entry

Date of last entry

विद्यार् गवनेमेंट प्रेस, गया ।

Name of work -
 Situation of work -
 Agency by which work is executed -
 Date of measurement -
 No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area.
	No.	L.	B.	D.	
	1st	0 m	11	11	AK-Bill
Name of work - Construction of A.C. R. one Room & Veranda at P.S. Mathanbigha.					
Block - Madanpur Dist - Aurangabad under S.S.A. Agency - V. S.S. P.S. Mathanbigha.					
1	Site clearance	3			nos.
	labour @ Rs 68	-	-		204.00
2	Making	10"			idga ✓

bore	bore	ground	
LEVEL	--	--	at comp.
Job			
21 May	11' 6"	-	24' 6"
one No.	15' 11"		15' 11"
			257' 5"
=	78.48 m	@	
Rs	30.85/metre	=	Rs 2421.00 ✓
3	Making	63	cm
atg.	under	2cm	
	at required	depth	
	in ordinary	soil.	
25	nos @	32.70	each Rs 818.00 ✓
4	Providing	R.C.C.	✓
M 15 (1:2:4)			in pile

Continuation
 Rs. 3443

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L.	B.	D.	
$21 \frac{\pi}{4} (0.25)^2 \times 2.5m$					$= 3.61 m^3$
$1 \times \frac{\pi}{4} (0.25)^2 \times 4.85m$					$= 0.24 m^3$
Extra for beam					
$25 \times 0.059 m^3$					$= 1.48 m^3$
					Total $5.33 m^3$
@ Rs 2029.95/m ³					Rs 10820.00 ✓
5 - Providing Sand filling below Gread beam					all complete job
$(118' - 5\frac{1}{2}'' - 22 \times 10'') \times 10''$					
$\times 0' 3'' = 90.97 \text{ SF}$					
$0.59 m^3 @ 93.80/m^3$					
					$= Rs - 55.00$ ✓

6 - Providing 100 A B.F.S. below Gread beam					
$(118' - 5\frac{1}{2}'' - 22 \times 10'') \times 10''$					
$= 83.17 / \text{SF}$					
$7.73 m^2 @ 73.40 m^2$					
					Rs 567.00 ✓

7 - Providing R.C.C. M150 (1:2:4) Gread beam					
$118' 5\frac{1}{2}'' \times 10'' \times 8'' = 64.89 \text{ SF}$					
$= 1.084 m^3 @$					
$2384.035 / m^3$					Rs 4387.00 ✓

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
8 - Providing B/w					
in C.M (1:6)					
in Plinth					
- - - all round.					
Job					
118' 5 1/2" x 10" x 13"					
					= 122.90 sqft
Deduction verandah					
Pillar column					
3 x 13" x 7/4" x (0.83) ²					
					= 2.03 sqft
Net work					120.87 sqft
= 3.43 m ³ @					
Rs 1253.20/m ³					= Rs 4298.00

9 - Providing					
25 mm D. P. C. in					
cement concrete					
(1:2:4)					
118' 5 1/4" x 0' 10" = 98.32 sqft.					
9.14 m ² @ Rs 65.05/m ²					
					Rs - 594.00

10 - Providing					
100A B/w in C.M					
(1:6) for Super					
structure - - - in					
complete job.					
118' 5 1/4" x 0' 10" x 10' 0"					
					= 987.14 sqft

Particulars	Details of actual measurements				Contents of area
	Vol.	l	b	d	
Deduction					2978.20
D = 1 x 4' x 7' x 0'10"					= 23.24 cft.
W = 3 x 4' x 5' x 10"					= 50.00 cft
Ver opening					
28'10" x 10" x 10'6"					= 939.99 cft.
Lintel					
4 x 5' x 10" x 0'6"					= 830 cft.
Lintel band					
(89' 7 1/2" x 20' 0")					
x 0'10" x 0'3"					= 14.45 cft.
(B)					335.28 cft.

Arch 5" thick wall					
28'10" x 5" x 6 1/2"					= 6.54 cft
					(C)
Net quantity A - (B+C)					
987.14 - 335.28 + 6.54					
					= 645.32 cft
					= 18.273 m ³ @ Rs
					1285.45/m ³ - 4 m ³ /Rs - 23489.00.

11 - Providing Rec					
(1:2:4) lintel band					
(89' 7 1/2" - 20') x 10" x 3"					
					= 014.45 cft
					= 0.41 m ³
@ Rs 2392.30/m ³ - Rs					981.00

Continuation Rs 48634.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
16 - Providing R.C.C. (1:2:4) in Rafters.					
3 x 10'9" x 8'0" x 9 1/2"					
= 128 cft					
= 0.36 m ³					
@ 2945.15/m ³ - Rs					1064.00 ✓
18 - Providing concrete filling in Plinth area class room.					
8 x 1/2 x 11' x 9' = 396 cft					
1 x 1'6" x 9'6" = 13.50 cft					
Verandah.					
3' x 10' + 15'6 1/2" x 6' - 8 1/2"					
= 64.77 cft					
15'6 1/2" x 3'0" = 46.63 cft					
7'10" + 15'6 1/2" x 4'0" = 46.70 cft					
2					
Total = 567.64 cft					
567.64 cft x 1'10" = 1040.67 cft					
29.468 m ³ @ Rs 93-80/m ³					
Rs - 2764					
19 - Providing R.C.C. M.19 roof beam (in all type)					
17'2 1/2" x 10" x 10" = 11.85 cft					
29'8" x 10" x 6" = 12.70 cft					
2 x 23'8" x 10" x 13 1/2" = 44.19 cft					
68.35 cft					
= 1.94 cu m @ Rs 340.30/m ³					
Rs 6599.00 ✓					

Continuation: Rs 63190 = 76

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No	L	B	
19a) Providing R.C.C				
1:1.5 mix in filler				
nonp. slab				
8 x 1/2 x 9'3" x 11'10"				
				= 481.37 Sft
9'9" x 1'6"				= 14.63 Sft
V/R				
3'10" x 17' 2 1/2" x 7' 6 1/4"				
2				= 279.11 Sft
17' 2 1/2" x 3'0"				= 51.63 Sft
8'8" x 17' 2 1/2" x 4' 10"				
2				= 62.48 Sft
				669.27 Sft
62.195 m ² @ 38.88/m ²				
(Limit 100) -			Rs	23809.20

20 - Providing plaster				
Primp cement plaster				
(1:3) 3 per side				
No. 18 @ 62.19 m ² @				
Rs 51.80/m ²			Rs	3221.00

21 - Providing Rebar				
forcement				
i - 10 mm				
4 x 21 x 14'0"				= 11.76 ft
4 x 1 x 17'0"				= 68 ft
				12.44 ft
= 379.26 m @ 0.62 Kg/m				
				= 235 Kg
Ring - 6 mm				
21 x 22 x 30' / 12				= 11.53 ft

1 x 25 x 30' / 12 Continuation = 62.5 ft
 1217.5 ft
 Rs 90220.76

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					BF- 90220-76
	1217	5 ft			
					$= 371.2 \text{ m}^2$
					$= 292 \text{ kg/m} = 82 \text{ kg}$
					(i) - G read beam
	8 mm				
	118	$5\frac{1}{2}$ "			$= 710.5 \text{ ft}$
					$= 216.6 \text{ m} @ 0.395 \text{ kg/m}$
					$= 8.6 \text{ kg}$ ✓
	6 mm				178 Nos x 20"
					$= 356 \text{ ft}$
					$= 108.33 \text{ m} @ 0.222 \text{ kg/m}$
					$= 24 \text{ kg}$ ✓
					(ii) - limited beams
	8 mm				
	89				$= 178 \text{ ft}$
					$= 54.25 \text{ m} @ 0.395 \text{ kg/m}$
					$= 21 \text{ kg}$ ✓
	6 mm				178 x 9" = 134 ft
					$= 40.7 \text{ m} @ 0.222 \text{ kg/m}$
					$= 9 \text{ kg}$ ✓
					(iv) - limited in D/A
	8 mm				
	4 x 4				$= 80 \text{ ft}$
					$= 24.3 \text{ m} @ 0.395 \text{ kg/m}$
					$= 10 \text{ kg}$ ✓
	V/R				
	29	$8\frac{1}{2}$ "			$= 118.66 \text{ ft}$
					$= 36.2 \text{ m} @ 0.395 \text{ kg/m}$
					$= 14 \text{ kg}$ ✓

Continuation 90220-76

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
6 mm Φ V/R					
60 x 2' = 120 ft					
= 36.58 m @ 0.22 kg/m					
= 8 kg ✓					
V) - chraj 8 mm Φ					
3 x 2 x 2' 4" = 84 ft					
3 x 4 x 5' 0" = 60 ft					
144 ft					
44 m @ 0.395 kg/m					
= 17 kg ✓					
Vij) - Rak 8 mm Φ					
3 x 4 x 10' 0" = 120 ft					
3 x 2 x 2' 4" = 146 ft					
266 ft					
81.33 m @ 0.395 kg/m					
= 32 kg ✓					
Vii) - V/R column					
12 mm Φ					
3 x 6 No. x 12' 0" = 216 ft					
= 65.85 m @ 0.888 kg/m					
= 58 kg ✓					
6 mm Φ					
3 x 2.5 x 2' 0" = 150 ft					
= 15.24 m @ 0.229 kg/m					
= 4 kg ✓					
Viii) - Beam in Room					
20 mm Φ					
Mat 2 x 4 x 23' 8" = 187.33 ft					
Crank 2 x 2 x 25' 6" = 102.00 ft					

Continuation
282.33 ft

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF -	90220.76
289.32 ft =	88.2 m				
2.445 kg/m					
=	217 kg				
16 mm Φ					
2x2x23' 0" =	92 ft				
28.04 m @	1.58 kg/m				
=	44 kg				
(Ver. beam on pillar)					
6x29' 8" =	118.64 ft				
36.15 m @	1.58 kg/m				
=	57 kg				
Ring 8 mm Φ					
Room					
2x47x3' 10" =	36.033 ft				
Ver Pill -					
1x50x2' 6" =	150 ft				
				615.00 ft	
187.5 m @	0.395 kg/m				
=	74 kg				
(ix) Bed blocks -					
8 mm Φ					
5x2' 2" x 4 No. =	43.33 ft				
13.2 m @	0.395 kg/m				
=	5.2 kg				
6 mm Φ					
5x5x2' 0" =	50 ft				
= 15.24 @	0.222 kg/m				
=	4 kg				
2 (6 mm No. 9A) (2) to (ix)					
Total Reinforcement					
1002.00 kg @	23.512088/m				

Continuation - B 23559.90

113780.66

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF	113780.66
Less cost of cement					
152 bags @ 143/bag					
		(-)		Rs	21736
Less cost of steel					
1002 kg = 1.002 MT				(-)	Rs 23559.90
Less for C.P (9.09%)				(-)	Rs 6225.26
				Rs	62259.5
Add cost of cement					
				(+)	Rs 21736
				(+)	Rs 23559.90
Add cost of steel -				(+)	Rs 23559.90
				Rs	107555.40

				= (B)	107555.00
Add charge of carriage					
material					
(a) Sand (local 5 KM)					
1125 cft = 31856 MB					
@ Rs 88.59/MB				Rs	2822.00
(b) - Stone chips					
(10 KM) 540 cft					
= 15.29 MB @ 183.00/MB				Rs	2799.00
(c) Cement 10 KM					
152 bags = 7.6 MT					
@ Rs 183.00/MT				Rs	571.00
75.12/MT				Rs	571.00

Continuation

113747

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Final Bill					
Name of work					
construction of					
A.C.R. at Primary					
school Mathura					
Higha Block					
Madanpur					
Dist - Anwar-gabad					
Under S.S.H.					
Agency V.S.S. Primary					
School Mathura Higha					
S.H.M.					
Date of measurement					
		13.12.07			

① - providing 12 mm thick cement plaster (1:4) including cement - Purging up to P.L. (order state) 10' 9" x 10' x

② - providing 12 mm thick cement plaster (1:6) inner side of wall - in class Room -

8 x 9' 6" x 10' = 720.00 sqft
 2 x 1' 6" x 10' = 30.00 sqft
 Ven - 2 x 9' 6" x 10' = 180.00 sqft
 3' 10" x 10' = 38.10 sqft

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
cont. dilation - ①					
pillar -					
3 x 7 x 10" x 7 1/2" = 74.25 sft					
Ver. Link -					
28' 10" x 1' 10" = 52.76 sft					
Beam -					
28' 10" x 1' 10" = 50.78 sft					
15' 6 1/2" x 2' 6" = 38.88 sft					
2 x 22' x 3' 1" = 135.52 sft					
Rock -					
1 x 9' x 3' 2 1/2" = 28.87					
				531	
				1349.09	
Deductions -					
1 x 4' x 7' = 28 sft					
Steering -					
9' 3 1/2" x 6" = 46.95 sft					
				74.96 sft	
Net Amty -					
1349.09 - 74.94 = 1274.15 sft					
= 118.40 m ² @ Rs 37.83/m ²					
					Rs 4479.00
② Providing					
designation of 1000					
brick flat salting					
as per item at course					
clean sand filling					
Amty - 567.64 sft					
= 52.75 m ²					
@ Rs 73.40/m ²					
					Rs 3879.00

②b Continuation Rs 8351.00
 Provide 150 mm M.M.R. dry packed
 ch. da. all course
 at 52.75 m² @ Rs 73.55 → Rs 3879.76

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF	930.08
⑦ - Provisioning					
three coats of white					
washing (in new side					
wall) as per item ①					
+ filter slab only					
118.40 m ² + 69.12 m ²					
= 187.52 m ²					
@ Rs 4.95/m ²					
				Rs	767.00
⑧ - Provisioning					
two coats of colour					
washing over a coat					
of white washing.					
all					
Comp. Feb -					
8 x 96" x 10' = 780.00 Sft.					
3 x 10' x 11" = 30.00 Sft.					
					810.00 Sft.
deduction:					
3 x 4' x 5' = 60.00 Sft.					
Net Area -					
810.00 - 60.00 Sft.					
= 750.00 Sft.					
= 69.70 m ²					
@ Rs 7.33/m ²					
				Rs	512.00

Continuation

Rs ~~24287.00~~

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF	24287 sq. ft.
(9) - Provisioning red oxide primer on steel work					
Grid - 3x4x	54	60	0.03	sq. ft.	
Slab - 2x8x	10'	176	0.03	sq. ft.	
		236	0.03	sq. ft.	
=	21.93			sq. m ²	
@ Rs	15.93			/m ²	
				Rs	349.00
(10) - Provisioning two coats enamel painting with ready mix as per spec					
Rs - (9)					
Qty -	21.93			m ²	
@ B 25	0.55			/m ²	
				Rs	560.00
(11) - Provisioning Black Board					
1x8'x4'		32	0.03	sq. ft.	
=	2.97			m ²	
@ Rs 95				/m ²	
				Rs	283.00
				Rs	25479
				TOTAL	29358.00
Less the cost of cement 15 bags @ Rs 143/bags				Rs	2145.00
				Rs	27213.00
Less c.p. 9.09%				Rs	2121
				Rs	21213

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L	B	D	
Less the cost of Cement					15 bags
@					Rs 143.0 / bags
					= Rs 2145.0
Less 9.97 c.f. excess the cost of cement					
					$\frac{9.97}{100} \times (29358.0 - 2145.0)$
					= Rs 2474.0 (-)
Add the cost of Cement					= +Rs 2145.0

Total Cost = $(29358.0 - 2474.0 + 2145.0)$
 = Rs 29029.0

Material Statement

(I) Sand = 250 c.ft. = 7.08 m³

(II) Stone chips = 50 c.ft. = 1.41 m³

(III) Cement = 15 bags

(IV) Brick Bat & bricks = 5958.0 Nos.

Add the Carriage of materials

(V) A from Kalyandia to Actual Site of work for Stone chips

Continuation

1.41 m³ @ Rs 379.95

→ Rs 535.73

